न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 49/2020::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2020/00085

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
दुर्गाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी रेपडावास, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. सेसाराम पुत्र श्री भोलाराम जाति मेघवाल निवासी रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली 2. तहसीलदार(भुमि धारक) सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 3. व्यवस्थापक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

प्रार्थी स्वयं उपस्थित
श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना सरकारी पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अनु.

–: निर्णय :–

दिनांक : 20-2-2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा ग्राम रेपडावास के खसरा नम्बर 524 रकबा 1.3800 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 02.05.1986 को किए गए भू–आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 बाद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम रेपडावास तहसील सोजत में प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भुमि खसरा नम्बर 554 रकबा 1.0300 किस्म चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 555 रकबा 0.0300 किस्म गैर मुमकिन बेरा आयी हुयी है, जिसके चारो और 100 वर्षो से धोरा मेडबंदी की हुई है एंव आराजी के दक्षिण दिशा के धोरे पर अंग्रेजी बबुल के पेड लगा रखे है, जिससे 25 फुट की दुरी से रेपड़ावास से ग्राम धांगड़वास जाने वाली सडक स्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित भुमि खसरा नम्बर 524 रकबा 1.3800 हैक्टर जो कभी कृषि भुमि नही थी न ही वर्तमान में कृषि भुमि है तत्कालीन पटवारी हल्का ने अप्रार्थी संख्या 01 से मिलावट कर आवंटन कमेटी से गलत तथ्यों के आधार पर जैर आवंटन आदेश दिनांक 02.05.1986 को पारित करवाकर एम.जी.बी बैंक चाड़वास के पास रहन रख कर ऋण ले लिया एंव अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित भुमि कृषि भुमि न होने से मुझ प्रार्थी की कब्जाकाश्त एंव खातेदारी भुमि पर अतिक्रमण करने एंव झुठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां देता है। जैर प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश मिथ्या एवं झुठे तथ्यों के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है जो आवंटन राजस्व कर्मचारियों एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलावट कर जारी कर दिया। जो काबिल निरस्त है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि आवंटन कमेटी की सिफारीश पर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम रेपडावास के खसरा नम्बर 524 रकबा 1.38 हैक्टेयर भुमि का आवंटन सेसाराम पुत्र भोलाराम जाति मेघवाल द्वारा आंवटन की शर्तो को पुरा करने पर किया गया जिसमें सन्दर्भ में सम्बधित पटवारी हल्का एवं राजस्व रेकर्ड को ध्यान में रख कर किया गया है। जैर आवंटन आराजी कृषि भुमि है जिसकी किस्म बारानी प्रथम है, एवं वर्तमान में आवंटी अनुसुचित जाति का होने के साथ साथ भुमिहीन होने से आवंटन किया गया है एंव वर्तमान मे आवंटी का भुमि पर कब्जा काश्त है। आवंटित भूमि की किस्म बारानी है न कि गै.मु.रास्ता। आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने प्रार्थी एवं सरकारी पैराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किए गए आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 02.05.1986 को निरस्त कराने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र आवंटन इस आशय से निरस्त कराने हेतु पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटित आराजी कृषि भुमि नही है, रास्ते की भूमि है। अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है यह तथ्य मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है, किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार तभी दिए जाते है, जब उसके द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कृषि की जाती है। किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिए जाने के पश्चात उसके पक्ष में किया गया आवंटन आदेश राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970–नियम 14(4) के तहत निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। आवंटन लगभग 34 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए. आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। आवंटन के लगभग 34 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। प्रार्थी का मुख्य कथन यही है कि अप्रार्थी को रास्ते की भूमि आवंटित की गई है। जैर प्रार्थना पत्र आवंटित आराजी कभी भी रास्ते की भूमि रही हो, इसका कोई सबूत या दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया। अतः प्रार्थी द्वारा अपना पक्ष सिद्ध नही कर पाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्याा 1 के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 02.05.1986 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति भिजवाई जाकर मूल आवंटन आदेश रेकर्ड शाखा को लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-2-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली